भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

27.07.2022 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1761 का उत्तर

यात्रा सब्सिडी वापस लेना

1761. श्री दीपक अधिकारी (देव):
श्री प्रताप सिम्हा:
श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों/नागरिकों की किसी भी श्रेणी से सब्सिडी वापस लेने से अर्जित की गई कुल राशि कितनी है;
(ख) क्या रियायत वापस लेना एक स्थायी उपाय है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) सरकार द्वारा पिछले दस वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सब्सिडी हेतु रियायत को वहन करने में वर्ष-वार की कुल कितनी लागत का वहन करना पड़ा;
(घ) क्या सरकार ने नागरिकों को यात्रा सब्सिडी के कथित दुरुपयोग को संज्ञान में लिया है/रिपोर्ट प्राप्त की है और यदि हां, तो इस तरह के दुरुपयोग का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने किसी भी श्रेणी के नागरिकों को दी जाने वाली किसी अन्य यात्रा सब्सिडी को बंद कर दिया है/बंद करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) ऐसी यात्रा सब्सिडी को बंद करके सरकार द्वारा अर्जित की जाने वाली अनुमानित बचत कितनी होगी; और
(छ) क्या असीमित यात्रा के बजाय रेल यात्रा के लिए सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए कोटा तय करने की कोई योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

यात्रा सब्सिडी वापस लेने के संबंध में दिनांक 27.07.2022 को लोक सभा में श्री दीपक अधिकारी (देव), श्री प्रताप सिम्हा और श्री तेजस्वी सूर्या के अतारांकित प्रश्न सं. 1761 के भाग (क) से (छ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): सरकार ने 2019-20 में यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी। यह रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए औसतन 53% की रियायत के बराबर है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी रखी गई है। दिव्यांगजनों, छात्रों और रोगियों सहित कई कोटियों के लिए, इस सब्सिडी राशि से अधिक राशि की अन्य रियायतें जारी रखी गई हैं।

(घ): मंडल स्तर, क्षेत्रीय रेलों, रेल मंत्रालय और यहां तक कि स्टेशनों आदि पर भी विभिन्न वर्गों से यात्रा रियायत के दुरूपयोग की शिकायतें प्राप्त होती हैं और व्यवहार्य एवं औचित्यपूर्ण पाए जाने पर इन पर उचित कार्रवाई की जाती है।

(ङ) और (च): जैसा कि उत्तर के भाग (क) से (ग) में पहले ही उल्लेख किया गया है।
(छ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****